

परिशिष्ट-1

प्रश्न क्रमांक:- 3476 /3426/19/पे/06  
प्रति,

मोबायल दिनांक:- 1/6/06

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
मोबायल

विवरण:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय स्वीकृति की 7 वीं बैठक बाबत ।  
=0=

प्लान एवं नाबार्ड योजना अन्तर्गत प्राक्कलन परीक्षण समिति तथा वित्तीय व्यय समिति की 7 वीं बैठक जो दिनांक 28.11.05 को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विस्तार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, में कार्यो को बजट में सम्मिलित कराये जाने हेतु सहमति दी गई थी । सभी कार्य वर्ष 2006-07 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 76/5054 में सम्मिलित किये जा चुके हैं ।

अतः राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र०	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लम्बाई कि. मी.	लागत रुपये लाख में
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11	हरदा	24/5054	हण्डिया से जोगा बहाया भंगरुल मांग	22.00	535.97
12	झमोह	24/5054	झमोह हिण्डोरिया पट्टेरा मांग	26.19	648.26
13	कटनी	76/5054	सेलबाड़ा भण्डारा सिलवाड़ी मांग	20.00	660.41
14	राजापुर	24/5054	शोलाय कला से रत्नायल ढहाया नयापुरा बावड़ी खेड़ा मांग	36.00	772.22
15	इन्दौर	24/5054	इन्दौर भेमावर मांग का स्वीकृति एवं उन्नति करण	4.15	807.82

§6§	रतनाग	24/5054	राजपुरा-चरगवा मार्ग के कि.मी. 42.51	875.50	
§7§	सीधी	24/5054	बगल-प्रगतीहर मार्ग	42.60	844.50
§8§	सीधी	24/5054	गोदा वन्देह बहावा रोड निर्माण मार्ग	36.60	877.50
§9§	रतनाग	24/5054	अहमदनिया बन्देगद मार्ग	45.00	938.30
§10§	शाहडोल	24/5054	गोदारी ज्ञानपुर मार्ग कि.मी. 25/10 में राजघाट पोहोचाने पर सोन नदी पर पुल निर्माण		554.26
§11§	जबलपुर	24/5054	राजपुरा-चरगवा मार्ग के कि.मी. 4/2 में नर्मदा नदी पर पुल निर्माण		802.75
§12§	इन्दौर	24/5054	रेल्वे ब्रिज क्र0242 में वानगंगा के पास रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण		752.00
§13§	इन्दौर	24/5054	रेल्वे ब्रिज क्र0 245 में गेडारी मिल के पास रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण		772.00

2/ उक्त सभी कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन संबंधित मुख्य अभियंताओं को वापस लिये जावेंगे। शासन चाहता है कि प्लान अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार प्रारम्भ करावें जहाँ तथा नगर्बाई योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु नगर्बाई से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य नियमानुसार प्रारम्भ कराये जावें, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित शर्तों के अन्तर्गत ही कार्य सम्पन्न कराये जावें। प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित शर्तों से किसी भी स्थिति में अधिक खर्च न किया जाय।

3/ उक्त कार्यों की तहसिल अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने एवं समस्त विभागीय औपचारिकताये पूर्ण करने के पश्चात् ही निविदाये बुलाई जावें।

सहपत्र :- राज्य

म090 के राज्य पत्र के नाम से  
तथा आदेशानुसार

सचिव

राजपुरा-चरगवा

राजपुरा-चरगवा


संख्या: 5695/75  
दिनांक:

गोपाल दिनांक: 1/6/06

- 1] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को लोको निर्माण विभाग भोपाल ।
- 2] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. सागर ।
- 3] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. जबलपुर ।
- 4] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. उज्जैन ।
- 5] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. इन्दौर ।
- 6] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. रीवा ।
- 7] मुख्य अधिकारी (राजधानी) को. नि. वि. भोपाल ।

निज सचिव भारतीय मंत्री को लोको निर्माण विभाग को सूचनाय केवल क्रमांक 5 के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सदस्य: - प्राधिकरण (राजधानी) के लिए

  
सचिव 1/6/06

महानगरपालिका-राजधानी  
लोको निर्माण विभाग

File No 5695 / 75

अतिलिपि

अनुविभागीय - अधिकारी - लोको निर्माण विभाग (राजधानी)  
सुभाष विवेका को गोरे सूचनाय एवं मजदूरी एवं धाईली  
को पूरा / फाइली बाइ प्रत्येक तालिका प्रकृत करने एवं प्रत्येक तालिका  
अधीन से तालिका की लीडरि जाते व से हेतु अग्रेषित ।

